| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Saraswati Badhni Sewa Samiti Lucknow . . . | — | 1.76 | 0.86 |
| 26 | National Fellowship Rehab. Centre for Blind, Allahabad. | — | 4·27 | 0.70 |
| 27 | Jahangir Memorial Charitable Hospital, Allahabad . | — | — | 0.82 |
| 28 | Handicapped Development Council, Agra . . | — | — | 0.70 |
| 29 | Paryavaran Jan Jagaran Samiti, Almora . . | 1.27 | — | 1.61 |
| 30 | Abhinay Reportary Theatre & Res. Institute, Lucknow. | 0.41 | — | 3.41 |
| 31 | Jan Sewa Sansthan, Allahabad . . . . . | — | — | 1.68 |
| 32 | Gaurav Jan Kalyan Samiti, Allahabad . . . | — | — | 0.90 |
| 33 | National Instt. of Social Welfare, Faizabad . . | — | — | 2.47 |
| 34 | Avadh Sansitha, Ayodhya . . . . . | — | — | 3.60 |
| 35 | Noor Mohd. Charitable Society, Allahabad . . | — | — | 3.05 |
| 36 | Bahujan Hitai Sansthan, Barabanki . . . . | — | — | 3.84 |
| 37 | Manav Vikas Sansthan, Hardwar . | — | — | 0.78 |

**उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता**

4222. **श्री संजय डालमिया :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आर्थिक सहायता हेतु विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने आवेदन सरकार द्वारा स्वीकृत किए गये और प्रत्येक को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ग) कितने आवेदन पत्र लम्बित है और उनके बारे में लिये गये निर्णय की जानकारी कब तक मिल जायेगी ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू):** (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता-अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या

| | |
|---|---|
| 1992–93 . . . | 168 |
| 1993–94 . . . | 306 |
| कुल | 474 |

(ख) वित्तीय सहायता के लिए 150 संगठनों को शामिल करते हुए 201 आवेदनों को अनुमोदित किया जा चुका है। इन संगठनों के नाम तथा निर्मुक्त सहायतानुदान अनुबंध में दिये गये हैं [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 80]। 149 आवेदन रद्द किये गये।

(ग) 124 आवेदन पत्र लम्बित हैं। वित्तीय सहायता के लिए पात्र लम्बित आवेदन पत्रों पर सभाओं की उपलब्धता तथा संगठनों एवं संबंधित राज्य सरकारों से जहां कहीं आवश्यक हो, आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर या तो चालू वित्त वर्ष के दौरान अथवा परवर्ती वित्त वर्षों के दौरान विचार किया जाएगा।

**गुजरात में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं**

4223. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए किन-किन राज्यों में योजना आरम्भ की गई है।

(ख) क्या अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए ऐसी ही कोई योजना गुजरात में विशेषतः सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में आरम्भ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के अधीन अभी तक हुई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास भवन**

4224. **श्री लक्खीराम अग्रवाल :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों/छात्राओं के लिए मैदानी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर भवन निर्माण की अलग-अलग अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई है;